संख्या-138/2015/1693/71-1-2015-ए-2/2006टी0सी0

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 25 अगस्त, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की मूल लागत रू0 21921.19 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1898/71-3-2006-ए-2/2006, दिनॉक 08-05-2006 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। लागत दरें पुनरीक्षित होने के कारण व्यय वित्त समिति द्वारा उक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0 49740.79 लाख पुनरीक्षित की गयी थी एवं तद्नुरूप शासनादेश संख्या-665/71-1-2014-ए-2/2006टी0सी0, दिनॉक 22-09-2014 द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार पुनरीक्षित लागत रू0 49740.79 लाख के सापेक्ष विभिन्न् शासनादेशों द्वारा कुल रू0 40720.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/61, दिनॉक 06-05-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 34,45,55,000/- (रू0 चौतीस करोड़ पैतालीस लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा।
7- आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

9- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में विचार नहीं किया जायेगा।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-51-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:138/2015/1693(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज आजमगढ़।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।